प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील क्रमांक- 813/2018

1. हुमेंद्र कुमार पावडे, पिता- श्री भीमधर पावडे, आयु लगभग 33 वर्ष ग्राम और ग्राम पंचायत भेजीपदर, ब्लॉक मैनपुर, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।

---- अपीलार्थी

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़ ।
2. कलेक्टर एवं जिला समन्वयक गरियाबंद, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, गरियाबंद, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।
5. कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परियोजना, जनपद पंचायत मैनपुर, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से	:	सुश्री मीना शास्त्री, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य की ओर से	:	श्री गगन तिवारी, अधिवक्ता

माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय पारित

द्वारा

प्रशांत कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

28-03-20191.

1. यहां अपीलकर्ता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 (संक्षेप में 'नियम, 2004') के प्रावधानों के तहत दिनांक 15-5-2007 को ग्राम पंचायत, भेजीपदर में रोजगार सहायक के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ता वर्ष दर वर्ष आधार पर संविदा नियुक्ति जारी रखने के लिए अपनी उपयुक्तता के आकलन के आधार पर पद पर बना रहा। हालाँकि, वर्ष 2017-18 के लिए उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) या प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' नहीं थी, इसलिए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 (संक्षेप में 'नियम, 2012') के नियम 15 (3) के तहत अपीलकर्ता को आगामी वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया और परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं दिनांक 18-5-2018 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई (डब्ल्यूपीएस क्रमांक -5637/2018 में अनुलग्नक - पी /1) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. रिट न्यायालय ने रिट याचिका को इस निष्कर्ष के बावजूद खारिज कर दिया कि प्रतिवादियों के लिए यह अनावश्यक था कि वे यह निर्धारित करने के लिए अपीलकर्ता की एसीआर पर ध्यान दें कि अनुबंध को बढ़ाया जाना है या नहीं, तथा आगे यह भी टिप्पणी की गई है कि एक संविदा कर्मचारी की निरंतरता उसकी ऐसी निरंतरता के लिए उपयुक्तता पर निर्भर करती है, जिसके साथ एसीआर लिखने का कोई संबंध नहीं है तथा संविदा कर्मचारी को सेवा में जारी रखना या न रखना नियोक्ता के विशेष अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि ऐसा कर्मचारी किसी सिविल पद का धारण नहीं करता है।

3. **देवदत्त बनाम भारत संघ एवं अन्य**[1] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ देते हुए अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलार्थी से ए.सी.आर. के बारे में उसका अभ्यावेदन या स्पष्टीकरण मांगे बिना उसके साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया जा सकता, जो उसे संसूचित नहीं किया गया था, इसलिए रोजगार समाप्ति का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता की संविदा नियुक्ति को लगातार जारी नहीं रखने का आदेश इस कारण से

1 **(2008) 8 SCC 725**

अभिखंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि नियम 2012 के नियम 15 (3) में यह प्रावधान है कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की गोपनीय रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, ताकि उसके कार्य का मूल्यांकन किया जा सके, यदि उसे अगले वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना हो तथा ऐसी नियुक्ति जारी रखने के लिए एसीआर/पीएआर 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छा' होना चाहिए। चूंकि नियम में ही यह प्रावधान है कि एसीआर या पीएआर संविदा रोजगार के विस्तार का लाभ देने का आधार बनेगा, इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संविदा कर्मचारी को एसीआर के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, जो उसके हित के प्रतिकूल हो सकता है, यदि वह नियम, 2012 के नियम 15 (3) के तहत निर्धारित अपेक्षित मानक के अनुरूप नहीं है। यहां तक कि यदि संविदा कर्मचारी पद पर बने रहने का हकदार नहीं है, यदि नियम स्वयं उपयुक्तता का आकलन करने के उपाय के रूप में एसीआर या पीएआर पर विचार करने का प्रावधान करते हैं, तो देवदत्त (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून इस कारण से पूरी ताकत से लागू होगा कि यदि कोई कर्मचारी एसीआर या पीएआर से किसी भी लाभ का हकदार है तो उसे सूचित किया जाना चाहिए, जिसके बिना कर्मचारी के खिलाफ विचार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में यह स्पष्ट किया है कि जब कोई प्राधिकारी ऐसा निर्णय लेता है जिसके सिविल परिणाम हो सकते हैं तथा जो किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तुरन्त प्रभाव में आ जाते हैं। (देखें: **महाराष्ट्र राज्य बनाम पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेंस ट्रस्ट एवं अन्य**[2])।

6. किसी संविदा कर्मचारी या किसी भी लोक सेवक को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, किन्तु जब किसी लाभ को देने या न देने पर विचार किया जाता है, तो ऐसी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर संविदा कर्मचारी को दिए जाने वाले लाभ के संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले उस व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए।

7. उपर्युक्त कारणों से, हम इस रिट अपील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। तदनुसार रिट अपील को स्वीकार किया जाता है। रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-5637/2018 अर्थात अनुलग्नक-पी/1 दिनांक 18-5-2018 में दिए गए आदेश,

---

2 **(2007) 3 SCC 587**

जिसमें अपीलकर्ता को रोजगार सहायक के रूप में नौकरी पर निरंतर नहीं रखा गया है, को अपास्त किया जाता है।

8. सक्षम प्राधिकारी अब अपीलकर्ता को एसीआर /पीएआर के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करेगा तथा अपीलकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी वर्ष 2019-20 के लिए रोजगार सहायक के पद पर अपीलकर्ता के संविदा रोजगार को जारी रखने से संबंधित मुद्दे पर नए सिरे से विचार करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि बकाया वेतन के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

9. परिणामस्वरूप, रिट अपील को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

सही/-

(प्रशांत कुमार मिश्रा)

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

सही/-

(पार्थ प्रतिम साहू)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**